

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :163/प्र030-भवन/जोन-2/2010-11 दिनांक 8/12/2011

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण केवल उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत की जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक भवन बना है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् उड अनुमति किसी के भित्तिरूप या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री पुनीत सोनी पुत्र श्री घनश्याम दास स्थल भवन संख्या-12 पुराना 15 नया बलुआघाट इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. वन-सीमा के अनुस्तर स्थल पर 01 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्वीकृति के अनुसार ही स्थल का उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. अश्वनीय भाग को स्वस्त कराने हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 09.08.2011 समयबद्ध रूप में अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
6. एक अर्द्ध पार्किंग भूखण्ड के फुट सेट बैंक में किया जाना आवश्यक है, इस हेतु फुट सेट बैंक के निर्मित भाग को रिक्त करना होगा।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. यह स्वीकृति सैद्धान्तिक होगी, जिसकी प्रकृति अस्थायी होगी। उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Conditions से Material/ Substantial विफलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी सनस्त कार्यवाहियों अर्थात् एवं शून्य समझी जायेगी।
9. मकान निर्माण से यदि नालों के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देना।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1966) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण के मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशानुसार मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में ग्राउण्ड प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Recd.
13/12/11

8/12/2011
(सीमा सिंह)
संयुक्त सचिव/ प्र030-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद



FRONT ELEVATION



SECT ON R/O




SECT ON STAIR




एन.ए.सी. नं. २५१५५-४
 ४५५५-४
 ४५५५-४

NOTE
 COMP WORK SHOWN THIS [Green Box]
 PLAN TO BE DEMOLISH SHOWN THIS [Yellow Box]



KEY PLAN
 (NOT TO SCALE)



G.F. PLAN
 SCALE 1:10



TERRACE PLAN

H.O. OF SHRI UDAY JINSHAL



SITE PLAN
 SCALE 1:100

२७/१०/११
 पं. अ. नं. १२४५
 पं. अ. नं. १२४५

२७/१०/११
 ०२/११/२०११
 २०/११/११

SCHEDULE OF D.W. WS & U/S		
1	DOOR	02 1025 x 2100
2	DB	900 x 2100
3	DU	750 x 2100
4	WINDOW	03 900 x 1350
5	W2	1300 x 1650
6	V	900 x 450

SCHEDULE OF AREA		SQ.M
1	TOTAL PLOT AREA	87.84
2	COMP COVD AREA (BALAJI STREET)	16.45
3	COMP COVD AREA (RESIDENTIAL)	37.77
4	MINIMUM AREA	4.03
5	OPEN AREA	31.62

NOTE: THIS IS TO CERTIFY THAT THE MAP IS ACCORDING TO THE B.M. LAWS & NORMS OF 7-11-2001

COMPOUNDING COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING PLAN PART OF HOUSE NO. 12 (OLD) & 15 (NEW) AT BALAJI GHANT CHAURAH

OWNER: SHRI PUNEET SONI
 S/O SHRI GANESHYAM DAS

SIG OF OWNER

Puneet

SIG OF ENGINEER

Dr. Ashay Kumar Datta
 Consulting Civil Engineer
 A.D.A. Registration No. 12251
 1100/1048/300/0, Tripura City
 Mysorepatti, Bangalore
 M. 9415258283